

संख्या 4407/02/2019-बीसी-1
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कमरा संख्या 116, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 24.01.2019

एडवायजरी

विषय: आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत के लिए स्व-नियमन के समर्थन में प्रसारकों द्वारा स्कॉलर चलाये जाने वाले के संबंध में।

टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम और विज्ञापन और केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिटेड/रिट्रांसमिटेड किए जाते हैं, के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। टीवी चैनलों का ध्यान केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(9) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है "कि केबल सेवा में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा जो समय-समय पर भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), मुम्बई द्वारा यथास्वीकृत विज्ञापन में स्व-विनियमन संहिता का उल्लंघन करता हो।"

2. एएससीआई के स्व-विनियामक तंत्र के बारे में बड़े पैमाने पर उपभोक्ता जागरूकता सृजित करने और इस लक्ष्य की दिशा में तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए, सभी टीवी चैनलों को निम्नानुसार एक स्कॉलर चलाने की सलाह दी जाती है:

"आपत्तिजनक विज्ञापन? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) फोन न. 7710012345 ascionline.org" से शिकायत करें।

हस्ताक्षर/-

[अमित कटोच]

निदेशक (बीसी)

दूरभाष 2338 6394

सेवा में ,

सभी टीवी चैनल।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. अध्यक्ष, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) 8-304, तृतीय तल, अंसल प्लाजा, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-110049

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. महासचिव, एएससीआई, बी/717, ऑरस चेंबर्स मार्ग, वर्ली, मुंबई-400018 के दिनांक 24.08.2017 के पत्र के संदर्भ में।

हस्ताक्षर/-

[अमित कटोच]

निदेशक (बीसी)

दूरभाष 2338 6394